समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी प्रकरण क /20117

1. अर्पित जैन
2. अभिषेक जैन दोनो पुत्रगण नरेन्द्र जैन निवासी मझपुरा मोहल्ला नगर टीकमगढ जिला टीकमगढ म.प्र. ....आवेदकगण

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन
2. श्रीमती ज्योती पत्नि जिनेन्द्र कुमार जैन पुत्री संतोष कुमार जैन निवासी कटरा बाजार टीकमगढ म.प्र. ।

............अनावेदक

द्वारा आज दि. 4-2-17 को प्रस्तुत
4-2-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 एंव सहपठित धारा 8 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत ।

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार हैं :–

आवेदन का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है–

1. आवेदक के सूक्ष्य में तथ्य इस प्रकार से हैं कि , –आवेदकगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय रा.नि.म. समर्रा तहसील व जिला टीकमगढ के प्रकरण क 62/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 26.7.2016 एक पक्षिय रूप से आवेदकगण को सूचना व सुनवाई का मोका दिये सीमांकन प्रकरण में पारित आलोच्य आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष निगरानी क 3319/एक/2016 प्रस्तुत की गई जिस निगरानी में प्रथम दृष्टया की विवादित आदेश में अनियमिता पाते हुये आदेश दिनांक 7.

XXXIX(a) BR (H)-11 राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ ....

प्रकरण क्रमांक 9045-एक/2017 विविध जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्ताक्षर
4.10.17	तत्का. सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 3974-एक/2016 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 20-1-17 में त्रुटि सुधार की मांग करते हुये यह विविध आवेदन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 32 सहपठित धारा 8 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2/ विविध आवेदन में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रकरण में आये तथ्यों पर विचार किया गया। 3/ प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 3319-क/16 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 7-10-2016 के विरूद्ध पुनरांवलोकन आवेदन आने पर प्रकरण क्रमांक 3974-एक/2016 पंजीबद्ध किया गया तथा आदेश दिनांक 20-1-17 पारित करके भूल सुधार करते हुये आदेश दिनांक 7-10-2016 निरस्त किया गया तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त समर्रा व्दारा प्रकरण क्रमांक 62अ-12/15-16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 26-7-16 को इसलिये यथावत् रखा गया, क्योंकि सीमांकन से यदि आवेदक की भूमि प्रभावित होती है	

तब वह अपनी भूमि का सीमांकन करवा सकते है। परन्तु आवेदकगण ने स्वयं की भूमि के सीमांकन की कार्यवाही न करते/कराते हुये राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर ध्दारा प्रकरण कमांक 3974-एक/2016 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 20-1-17 में ही सुधार करने की मांग करते हुये यह विविध आवेदन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 32 सहपठित धारा 8 के अंतर्गत प्रस्तुत किया है, जो पुनरावलोन प्रकरण में पारित आदेश दिनॉंक 20-1-17 के तथ्यों से मेल न खाते हुये वास्तविकता पर आधारित न होने से इसी-स्तर पर अमान्य किया जाता है।

सदस्य